

राजस्व लोक अदालत अभियान विशेष
न्याय आपके द्वार-2016

18/6/16

पञ्जावली आज राजस्व लोक अदालत
द्वारा खेड़ा जिला पर पेशा दुर्घी वादी
उपस्थित हो वादी को सुना गया।
वादी द्वारा वादपत्र में अंकित -
कथन, वर्णित तथ्य तथा वांछित

निवेदन

अप
उप खण्ड अधिकारी
राजगंजमंडी

- अमा -

तारीख
हुकम

राज्य लोक सेवा
आपके द्वारे

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहकम
हुकम
में

अनुलोप, प्रतिवादीगठा के जवाब
जो इकलविया है, का सम तथा -
वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का
ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।
प्रतिवादीगठा को वादी का
नाम उकल करके जान पर कोई
भाषित नहीं है। वादी वादगत -
भूमि के खाल पर अपना नाम
शंकरलाल के स्थान पर हरिशंकर
अंकित करवाना चाहता है। वादी
द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की दृष्टि
प्रतियों से भी उकल होता है,
कि उसका नाम शंकरलाल नहीं
होकर हरिशंकर है।

इंकि उकल के प्रतिवादीगठा
को वादी द्वारा वांचित अनुलोप
पर कोई ऐतज नहीं है।

लिहाजा दावा वादी नाम
उकली के अनुलोप लक स्वी-
कार किया जाना उचित
प्रतीत होता है।



Handwritten signature or initials.

आपके द्वारे
आपके द्वारे

सुप्रीम कोर्ट का कार्यवाही मध्य इन्डिया स्टेट्स जज


2

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
दुकम की तामील
में जारी हुए

अतः दोबो वारी अंशतः एकीकार
किया जाकर यह आदेश दिया जाते
है, कि ग्राम अलाई तहसील रामगंजमंडी
की भूमि आराजी खसरा नम्बर $\frac{657}{0.31}$
 $\frac{662}{0.01}$, $\frac{663}{1.32}$, $\frac{665}{0.32}$ कित्ता परकवा 2.86
हेक्टर पर शांकर लाल
ही शांकर स्वर्ण किया जावे। राजपण
रिकार्ड में 'अमल' हो। तदनुसार
डिक्री पन्चा मुक्ति हो।

पश्चात्तक बाद तामील, तकमील
व तामील निर्णय में गठना की
जाकर एविलर लेख भंडार हो।

निर्णय आज दिनांक 18/06/2016
को लोक अदालत के मध्य खेड़कड़ा
पर सुनाया गया।



(डी.ए.सी. मीन)
R.A.S.